

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या: 2503 / FP/UK/OFC/38358/2019 देहरादून: दिनांक: 13 फरवरी, 2019

सेवा में,

सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद-उत्तरकाशी के अन्तर्गत विकासखण्ड नौगांव में बडकोट बैण्ड से जानकी चट्टी (यमुनोत्री) तक लम्बाई 49.800 कि०मी० मोटर मार्ग के किनारे आर्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु 0.498 हे० वन भूमि पर विन्धिया टेलीलिंग लि० को अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

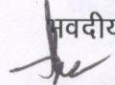
Online Proposal No-(FP/UK/OFC/38358/2019)

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद-उत्तरकाशी के अन्तर्गत विकासखण्ड नौगांव में बडकोट बैण्ड से जानकी चट्टी (यमुनोत्री) तक लम्बाई 49.800 कि०मी० मोटर मार्ग के किनारे आर्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु 0.498 हे० वन भूमि पर विन्धिया टेलीलिंग लि० को अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अनुमति प्रदान किये जाने का वन भूमि प्रस्ताव आनलाईन प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के अनुसार विषयांकित परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट, एवं वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तरकाशी द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की गई है। चूंकि प्रश्नगत कार्य भारत सरकार की परियोजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को ब्राडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु व्यापक जनहित में किया जा रहा है। अतः वन भूमि के कथित प्रयोजन हेतु अनुमति दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्तावित परियोजना का क्षेत्रफल 1.00 हे० से कम है तथा क्षेत्र किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत नहीं आता है। प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में वृक्षों का पातन निहित नहीं है।

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या-11-568/2014 एफ.सी. दिनांक-02.02.2015 के द्वारा भूमिगत आर्टिकल फाइबर केबिल लाईन बिछाने की अनुमति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को अधिकृत किया गया है। मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 24.05.2008 एवं आदेश दिनांक 09.05.2008 तथा तत्तकम में भारत सरकार के पत्रांक 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के द्वारा कतिपय प्रयोजनों हेतु एन०पी०वी० की देयता से छूट प्रदान की गयी है, जिसके अन्तर्गत विषयांकित परियोजना भी सम्मिलित है। अतः उक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जनपद-उत्तरकाशी के अन्तर्गत विकासखण्ड नौगांव में बडकोट बैण्ड से जानकी चट्टी (यमुनोत्री) तक लम्बाई 49.800 कि०मी० मोटर मार्ग के किनारे आर्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु 0.498 हे० वन भूमि पर विन्धिया टेलीलिंग लि० को अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर संस्तुति की जाती है।

संलग्न- प्रस्ताव की हार्ड प्रति।

भवदीय,


(अनूप मलिक)

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/OFC/38358/2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी -उत्तरकाशी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।
3. M/S VINDHYA TEELINKS LIMITED Plot No. E-237, 3rd floor, Industrial Area, Phase VIII B, Mohali, Punjab.

(अनूप मलिक)

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी